न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2022

			पार्टी नं. 1	
1.	थानाधिकारी पुलिस थाना विवेक विहार, जोधपुर पश्चिम	बनाम	1.	श्री तुलसाराम पुत्र श्री शिवाराम, जाति मेघवाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी– नंदवान, पी. एस. लूणी, जोधपुर
			2.	श्री नारायणराम पुत्र श्री शिवाराम, जाति मेघवाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी– नंदवान, पी. एस. लूणी, जोधपुर
			3.	श्रीमती कुकी देवी पत्नी श्री चतुराराम, जाति मेघवाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी– नंदवान, पी. एस. लूणी, जोधपुर
			पार्टी नं. 2	
			1.	रमेश पुत्र घेवरराम, जाति मेघवाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी– नंदवान, पी.एस. लूणी, जोधपुर
			2.	कल्लाराम पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी– नंदवान, पी.एस. लूणी, जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145,146 सीआरपीसी

अधिवक्तागण :–

1. पार्टी संख्या 1 की ओर से श्री प्रेमकुमार देवडा अधिवक्ता उपस्थित।
2. पार्टी संख्या 2 की ओर से श्री ईश्वरसिंह, अधिवक्ता उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक: 4/10/2023

यह है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष एक प्रकरण संख्या 02/2022 पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना लूणी के द्वारा अप्रार्थीगण तुलछाराम पार्टी संख्या 1 व पार्टी संख्या 2 के विरूद्ध थानाधिकारी के द्वारा इस प्रकार का पेश किया गया कि नंदवान में खसरा संख्या 258 रकबा 139 बीघा 07 बिस्वा जमीन के बंटवाडे को लेकर पार्टी संख्या 1 व पार्टी संख्या 2 के बीच में लगातार एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाना के अंतर्गत फौजदारी मुकदमें में जमीनी विवाद को लेकर पंजीकृत कराये गये हैं तथा कुल पांच प्रकरण पुलिस थाना लूणी में पंजीकृत हो गये हैं जिसमें दो प्रकरणों में नतीजा चालान आदेश एवं एक–एक प्रकरण में नतीजा एफ.आर. आदेश भी पेश हो चुका है। इस संबंध में जांच करने पर यह पाया गया कि पार्टी नं. 1 व 2 के द्वारा उपरोक्त खसरा संख्या 258 रकबा 139 बीघा 07 बिस्वा में पार्टी नं. 1 व 2 द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है जिस संबंध में दोनों पार्टियों के बीच में इस प्रकार का झगडा है कि कभी भी शांति भंग हो सकती है। पुलिस थाना लूणी के थानाधिकारी के द्वारा इस संबंध में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी के द्वारा धारा 145 भा.द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही करके उक्त कृषि भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण संख्या 2/2022 आदेश दिनांक 14.06.2022 के आदेश के विरूद्ध पार्टी संख्या 1 के द्वारा एक निगरानी न्यायालय सेशन जज, जोधपुर के समक्ष तुलसाराम वगैरा के द्वारा पेश की गई जो प्रकरण न्यायालय सेशन न्यायाधीश संख्या सात, जोधपुर महानगर के यहां पर स्थानांतरित हुआ। इस पर सेशन न्यायाधीश संख्या सात, जोधपुर ने फौजदारी निगरानी याचिका संख्या 48/2022 का निर्णय दिनांक 05.07.2022 को निगरानी निर्णित करते हुए उपखण्ड अधिकारी को आदेश दिया गया कि वे इस संबंध में दोनों पक्षकारान् को पुनः सुन करके उनके दस्तावेजात् रिकार्ड पर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

लेने के पश्चात् प्रकरण का निस्तारण विधि के अनुसार करें। इस प्रकार से उपरोक्त निगरानी के द्वारा प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी लूणी के यहां पर रिमाण्ड किया गया तथा पक्षकारान् को आदेश दिया गया कि वे दिनांक 12.07.2022 को संबंधित उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष दिन के 10 बजे उपस्थित होकर अपने स्वामित्व एवं कब्जे के दस्तावेजात् को लेकर के साक्ष्य प्रस्तुत करे।

यह है कि निगरानी न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया इसकी पालना में दोनों पक्षकारान् न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायालय के द्वारा धारा 145 सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रीलियमिनरी ऑर्डर पास करने के पश्चात् इस मामले में साक्ष्यों के बयान कलमबद्ध किये गये। इस संबंध में दोनों पक्षकारान् ने अपने स्वयं के बयान तथा साक्ष्यों के बयान कलमबद्ध करने के साथ ही साथ मौके की स्थिति के संबंध में अपने कब्जे को लेकर के फोटोग्राफ पेश किये गये।

यह है कि इस प्रकरण में पक्षकारान् के गवाहान के बयान होने के पश्चात् दोनों पक्षकारान् के अधिवक्ताओं को सुना गया। बहस सुनी गई। विद्वान वकील पार्टी नं. 1 का तर्क है कि खेत खसरा नं. 258 रकबा 139 बीघा 07 बिस्वा भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व धूलोजी बेटा रूगनाथ जी के नाम की थी। धूलो जी ना औलाद फौत होने पर उनके सगे भाई मंगला पुत्र रूगनाथ के नाम से जरिये नामांतरकरण संख्या 103 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। मंगला पुत्र रूगनाथ जी का देहान्त होने के बाद प्रथम श्रेणी के वारिस शिवाराम, उकाराम, लालाराम पुत्रगण मंगला के नाम खातेदारी दर्ज हुई। शिवाराम का देहान्त होने के बाद उनके वारिश पार्टी संख्या 1 व अन्य और वारिश के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा आज दिन उनका उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा तथा मौके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

पर ढाणियां बनी हुई है तथा शांतिपूर्वक परिवार सहित निवास कर रहे हैं तथा गायों व बकरियों को रखने के लिए बाडे भी बने हुए है तथा दाडम/अनार एवं गुन्दे के बागानों के फोटू पेश किये है व पार्टी संख्या 1 के रहवास के मकान व गायों व बकरियों के बाडे के फोटू भी उक्त पत्रावली में पेश किये है। इससे स्पष्ट साबित है कि पार्टी संख्या 1 शांतिपूर्वक उक्त कृषि भूमि पर खेती कर रहे हैं। पार्टी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस के तथ्यों को आगे दोहराते हुए यह भी बताया की हमारे खेत के पडौसी गवाह करनाराम, सावलराम ने भी न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पेश कर बताया है कि उक्त भूमि पीढियों से कब्जा व काश्त पार्टी संख्या 1 का ही चला आ रहा है। इससे स्पष्ट ताईद है कि उक्त भूमि पार्टी संख्या 1 की कब्जा व काश्त भूमि ही पार्टी संख्या 2 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है इस कारण पार्टी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से पार्टी संख्या 2 उक्त भूमि को कुर्क करवाना चाहते है। मौके पर आज भी पार्टी संख्या 1 शांतिपूर्वक तरीके से रहवास व काश्त कर रहे हैं इस कारण उक्त भूमि को कुर्क नहीं करने का निवेदन किया।

विद्वान पार्टी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपने बहस में यह कथन किया है कि उक्त भूमि सेटलमेंट के समय धूलोजी के नाम थी। धूलोजी ने ला औलाद फौत नहीं हुये उनके एक पुत्री पुनीदेवी थी। पार्टी संख्या 1 ने धूलोजी का ला औलाद बताकर गलत खातेदारी दर्ज करवाई है। धूलोंजी के फौत होने पर उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त पार्टी संख्या 1 के पूर्वज मंगला व पार्टी संख्या 2 के पूर्वज भूराराम व धूलोजी पुत्री पुनीदेवी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है परन्तु रेवेन्यू रेकर्ड खातेदारी में पार्टी संख्या 1 के पूर्वज मंगला ने अकेले अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा दी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

जो कानूनन गलत दर्ज करवाई है। आज भी मौके पर पार्टी संख्या 2 का 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त खेत के बंटवाडा को लेकर पार्टी संख्या 1 व 2 के बीच कुल 5 फौजदारी मुकदमें दर्ज हुए। मौके पर भारी विवाद होने के कारण थानाधिकारी लूणी ने दिनांक 06.06.2022 को उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष इस्तगासा पेश किया कि इस खेत के बंटवाडे को लेकर दोनों पार्टीयों के बीच भारी विवाद है। श्रीमान् ने उक्त फौजदारी प्रकरण व नतीजों का अवलोकन कर उक्त भूमि को कुर्क कर थानाधिकारी लूणी को रिसीवर नियुक्त किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर पार्टी संख्या 1 ने सेशन न्यायालय में निगरानी की अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 7 ने उक्त निगरानी स्वीकार कर पुनः रिमाण्ड की तत्पश्चात् पार्टी संख्या 2 रमेश व दुर्गाराम जी पार्टी संख्या 1 का सगा भाई ही उक्त भूमि के कब्जा को लेकर पुनः विवाद हो गया तब पार्टी संख्या 1 तुलसाराम ने पार्टी संख्या 2 रमेश व लादूराम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दिनांक 05.08.2022 को दर्ज करवाया। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 250 अन्तर्गत धारा 323, 325, 307/34 भादस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ इससे भी स्पष्ट ताईद हो रहा है कि मौके पर उक्त भूमि का बंटवाडा व खातेदारी को लेकर भारी विवाद है तथा किसी को भी जान का खतरा हो सकता है। इस कारण उक्त भूमि को कुर्क की जावे तथा थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जावे। पार्टी संख्या 2 की ओर से माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा का दावा का निस्तारण नहीं हो तब उक्त भूमि को कुर्क करने का आदेश फरमावे। अपनी बहस के तथ्य को आगे दोहराते हुए यह भी निवेदन किया है पार्टी संख्या 1 तुलसाराम स्वयं ने बयान के जिरह में यह बता रहा है कि मेरे भाई के हाथ पैर तोडकर रमेश ने सडक पर पटक दिया था तथा मेरे भाई के पैरों में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

लगीया भी डाला है हमारी ओर को गवाह जो उक्त खेत के चिपते हुए पडौसी ही गवाह बेनाराम, केहराराम, दीपाराम व हिम्मताराम यह बता रहा है कि पार्टी संख्या 2 का उक्त भूमि के 1/3 हिस्से पर पीढियों से खेती कर रहै हैं तथा उक्त भूमि पर अभी मौके पर भारी विवाद है इससे स्पष्ट ताईद है कि मौके पर भारी दोनों पार्टीयों के विवाद उक्त भूमि के कब्जा व बंटवाडा को लेकर चल रही है इस कारण उक्त भूमि को कुर्क कर थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश फरमावें।

यह है कि पक्षकारान् को सुनने के पश्चात् न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षकारान् के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अपने स्तर पर उसका विवेचन किया गया। इस संबंध में पार्टी संख्या 02 की ओर से साक्ष्य केहराराम, वेनाराम, हिमताराम, दिपाराम व अन्यों को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। गवाह दीपाराम के द्वारा अपने बयान में स्पष्ट कहा कि उपरोक्त खेत खसरा नं. 258 के चिपते हुए पश्चिम दिशा की ओर इस गवाह का खेत आया हुआ है तथा वह उसका पडौसी है। वह कल्लाराम, गोबरराम, रमेश व शंकर को जानता है। इनके पिता मांगीलाल जी व हप्पाराम चाचा जब जीवित थे उस वक्त उक्त खेत खसरे पर वे कानून के अनुसार काबिज थे तथा उनके द्वारा उक्त खेत खसरा पर लगातार शांतिपूर्वक काश्त किया जा रहा था। मांगीलाल व हप्पाराम के देहान्त के पश्चात् उक्त खेत खसरा नम्बर की कृषि भूमि में 1/3 भाग परा आज भी कल्लाराम, गोबरराम व उनके परिवार के सदस्य अपने हिस्से पर काबिज हैं परन्तु तुलछाराम व उसके परिवार के सदस्य पार्टी संख्या 1 लगातार कल्लाराम व उनके परिवार के सदस्यों से लडाई झगडा करते हैं तथा इनके खेत का विवाद लम्बे समय तक चला आ रहा है। कभी भी शांति भंग होने की सम्भावना बनी रहती है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

यह है कि गवाह वेनाराम के द्वारा भी अपने बयानों में यही कहा है कि खेत खसरा नं. 258 का वह चिपते हुए अपने खेत का कल्लाराम का पाडौसी है। पूर्व मे इस खेत को मांगीलाल व हप्पाराम जब तक जीवित थे इस खेत पर उनका चैतन्य व भौतिक रूप से कब्जा था तथा उनके देहान्त के पश्चात् कल्लाराम व उसके परिवार के सदस्यों का इस खेत पर लगातार उनके भाग पर जो 1/3 है उस पर उनका लगातार शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त रहा है परन्तु तुलछाराम व उसके परिवार के सदस्य जबरदस्ती उनको उनके कब्जासुदा खेत से बेदखल करना चाहते हैं। इसी गवाह की पुष्टि गवाह हिम्मताराम के द्वारा भी की गई है जिसने भी अपने बयानों में यही कहा है कि खसरा नं. 258 के पश्चिम दिशा में चिपता हुआ कल्लाराम के कब्जा काश्त के खेत में उसका खेत आया हुआ है। उपरोक्त खसरा नं. 258 की पूरी भूमि के 1/3 भाग पर कल्लाराम व उसके परिवार के सदस्यों का लगातार कब्जा है परन्तु इनके कब्जे में लडाई झगडा करने के लिए तुलछाराम व उसके परिवार के सदस्य लगातार लडाई झगडा कर रहे हैं। इसी गवाह की पुष्टि गवाह दीपाराम के द्वारा भी की गई है।

यह है कि उपरोक्त सभी साक्ष्यों की जिरह तुलछाराम के अधिवक्ता की ओर से करने के पश्चात् भी यह साक्ष्य जिरह के समय अडिग रहे। उनके बयानों में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन व इम्प्रोबेबलिटी नहीं है तथा यह प्रथम दृष्टया माना गया है कि किसी भी वक्त शांति भंग होने का लगातार अंदेशा बना हुआ है।

यह है कि इस संबंध में तुलछाराम व उसके परिवार के सदस्यों की ओर से भी अपनी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दी गई है। पत्रावली पर इस प्रकार के तथ्य आये हैं कि पक्षकारान् के बीच में लगातार इसी खेत खसरे

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

की कृषि भूमि को लेकर के व कब्जे को लेकर के दोनों पक्षकारान् के बीच में लगातार लडाई झगडा व शांति भंग होने के साथ ही साथ मुकदमे धारा 307 भादसं तक के पंजीकृत हुए हैं।

यह है कि दिनांक 18.01.2022 को रमेश के द्वारा पुलिस थाना लूणी में उपस्थित होकर के इस प्रकार की रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 17.01.2022 को शाम के 6.30 बजे वह मोटर साईकिल से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में गांव में तुलछाराम व दलपत ने उसका रास्ता रोककर लाठियों से मारपीट की जिससे उसके चोटें आई। यह मुकदमा वर्तमान में न्यायालय के विचारणीय है। इस सूचना पर प्रथम सूचना संख्या 29/2022 पुलिस थाना लूणी में जुर्म अन्तर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत पंजीकृत की गई जिसका अनुसंधान करने के पश्चात् चालान नम्बर 22/2022 में तुलछाराम व अन्यों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। इसी प्रकार से दिनांक 16.02.2022 को तुलछाराम के द्वारा एक प्रथम सूचना संख्या 57/2022 जुर्म अन्तर्गत धारा 143, 341, 323 भादसं के अंतर्गत पार्टी संख्या 2 के विरूद्ध पंजीकृत कराई जिसका चालान नम्बर 31/2022 उपरोक्त धाराओं में पेश किया गया। इसके उपरांत भी दिनांक 12.03.2022 को तुलछाराम ने न्यायालय के माध्यम से एक इस्तगासा पेश किया जिस पर थानाधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 76/2022 जुर्म अन्तर्गत धारा 323, 324, 386, 341 सपठित धारा 511 आईपीसी के अन्तर्गत अनुसंधान करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 19/2022 असत्य रूप से न्यायालय के समक्ष पेश किया व इसी प्रकार से दिनांक 24.03.2022 को चन्द्रकिशोर हैड कांस्टेबल के द्वारा दोनो पक्षकारान् को धारा 107, 166 भा.द.प्र.सं. के अंतर्गत संबंधित न्यायालय में दिनांक 15.04.2022 को शांति बनाये रखने के लिए दोनों पक्षकारान् को पाबंद किया

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

गया। इसके पश्चात् दिनांक 15.04.2022 को कुकी देवी ने उपस्थित थाना होकर के एक प्रथम सूचना संख्या 114/2022 जुर्म अंतर्गत धारा 341, 323, 509 सपठित धारा 34 के अंतर्गत पंजीकृत कराई तत्पश्चात् दिनांक 15.04.2022 को पुनः इन्हीं पक्षकारान् में से रिपोर्ट संख्या 115/2022 इसी जमीनी विवाद को लेकर के दोनों पक्षकारान् के बीच में लगातार मुकदमें पंजीकृत कराये गये। इस आधार पर खसरा न. 258 रकबा 139 बीघा 07 बिस्वा की कृषि भूमि पर लगातार पक्षकारान् का झगडा चालू रहा और सबसे खतरनाक मामला जब हो गया जबकि रमेश के खिलाफ धारा 307 भादसं का आरोप इसी जमीनी विवाद को लेकर के पार्टी संख्या 1 की ओर से लगाया गया। जिस पर रमेश व उसके साथी के खिलाफ धारा 307 आईपीसी का चालान भी न्यायालय में हुआ। इन परिस्थितियों में यह साबित हो गया कि पक्षकारान् के बीच में लगातार इसी कृषि भूमि को लेकर के विवाद रहा तथा शांति भंग करने का कृत्य किया गया।

यह है कि न्यायालय के द्वारा हल्का पटवारी व तहसीलदार को मौके की स्थिति देखने के लिए घटना स्थल पर भेजा गया। हल्का पटवारी के द्वारा तथा तहसीलदार के द्वारा भी मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिससे यह साबित हो गया कि उपरोक्त कृषि भूमि के 1/3 भाग पर कल्लाराम का कब्जा है व कुछ भाग पर पार्टी संख्या 1 की ओर से कुछ अपने मकान बना लिये हैं। पार्टी संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्य कल्लाराम व उसके परिवार के सदस्यों को कृषि कार्य करने से लगातार रोक रहे हैं इस प्रकार की साक्ष्य भी पत्रावली पर आ चुकी है।

यह है कि उपरोक्त खसरे की तरमीम अभी तक नहीं हुई है तथा दोनों पक्षकारान् का उपरोक्त खसरा नं. 258 की कृषि भूमि ग्राम नंदवान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

उसका क्षेत्रफल 139 बीघा 07 बिस्वा है इस पूरे खसरे पर पूर्व में दोनों पक्षकारान् के पूर्वज अपनी–अपनी कृषि करते थे परन्तु उनके बीच में भाईचारा होने के कारण कोई विवाद नहीं था, वर्तमान में जानबूझकर विवाद पैदा करने के उद्देश्य से यह जानते हुए कि कल्लाराम के पिता व दादा भोले भाले है उनको धोखे में रखकर तुलछाराम के पूर्वजों के द्वारा खातेदारी में अपना नाम लिखा दिया जिसकी जानकारी कल्लाराम को होने पर उसके द्वारा तुरन्त राजस्व न्यायालय में वाद पेश किया व अपने आपको खातेदार घोषित करने हेतु वाद प्रारम्भ कर दिया जोकि वर्तमान में राजस्व न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी के यहां पर विचारणीय है पूरे खसरे की जमीन पर करीब 10 बीघा क्षेत्र में तुलछाराम व उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा यह जानते हुए कि उपरोक्त कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करना विधि के विरूद्ध है कल्लाराम व उसके परिवार के सदस्यों की बिना अनुमति के उनके द्वारा 10 बीघा जमीन पर जगह–जगह अपने नये मकान बना लिये, गायों के बाडे बना लिये व बकरियां बांध दी जिसका विरोध कल्लाराम के द्वारा लगातार किया गया परन्तु तुलछाराम व उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा कल्लाराम व उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी इस कारण कल्लाराम व उसके परिवार के सदस्य डर के चुप रहे जिस कारण से तुलछाराम व उनके परिवार के सदस्यों के साथ लडाई झगडा किया तथा अभी तक उनके बीच में अनबन व समय–समय पर गाली गलौच व लडाई झगडा हो रहा है ऐसी स्थिति में इस पूरे खेत खसरा नं. 258 रकबा 139 बीघा 07 बिस्वा ग्राम नंदवान का क्षेत्र जहां पर तुलछाराम व उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उनके अपने हिस्से में बने मकान व आने जाने का रास्ता बना लिया गया हैं इस क्षेत्र को छोडकर पूरी कृषि भूमि को अटैच करने

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

का आदेश दिया जाते है ताकि पक्षकारान् में किसी की भी जीवन लीला समाप्त नहीं हो।

यह है कि उपरोक्त लगातार प्रकरण व साक्ष्यों के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि खसरा नं. 258 रकबा 139 बीघा 07 बिस्वा की कृषि भूमि के संबंध मे पक्षकारान् के बीच में लडाई झगडा है। कल्लाराम का यह कथन है कि पीढियों से दोनो परिवार एक ही थे परन्तु कल्लाराम के दादा भोले भाले थे जिसका फायदा उठाकर पार्टी संख्या एक के पूर्वजों के द्वारा खातेदारी में अपना नाम लिखा दिया तथा इस संबंध में विधि के अनुसार बंटवाडा नहीं किया गया।

यह है कि कल्लाराम के द्वारा इस संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जोधपुर के समक्ष एक वाद अपने आपको उपरोक्त कृषि भूमि पर खातेदार घोषित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश कर रखा है जो प्रकरण वर्तमान में न्यायालय के विचारणीय है।

यह है कि पक्षकारान् के बीच में जिस प्रकार से लगातार उपरोक्त कृषि भूमि को लेकर के लडाई झगडा हो रहा है ऐसी स्थिति में कभी भी शांति भंग होने की पूर्ण सम्भावना है तथा जान माल की हानि होने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता।

यह है कि वर्तमान में कल्लाराम के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पार्टी संख्या 1 व उनके परिवार के विरूद्ध पेश कर रखा है जोकि इसी न्यायालय के समक्ष विचारणीय हैं अगर पक्षकारान को बंध पत्र के आधार पर बाउण्ड नहीं किया गया तो कभी भी जान माल की क्षति होने की सम्भावना से इंकार

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

नहीं किया जा सकता। पूर्व में इनके जो मुकदमें चले हैं उनसे यह प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है कि उक्त कृषि भूमि को सुरक्षित रखना अतिआवश्यक है तथा शांति बनाये रखने के लिए उक्त खसरा नम्बर 258 रकबा 139 बीघा 07 बिस्वा को कुर्क करके दोनों पक्षकारान् को आदेश दिया जाता है कि जब तक कल्लाराम के द्वारा पेश खातेदारी घोषणा वाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक उक्त कृषि भूमि को कुर्क करके इस पर थानाधिकारी विवेक विहार को रिसीवर नियुक्त किया जाता है तथा पुलिस थानाधिकारी विवेक विहार को आदेश दिया जाता है कि वे इस संबंध में खेत खसरा नं. 258 रकबा 139 बीघा 07 बिस्वा ग्राम नंदवान का क्षेत्र जहां पर तुलछाराम व उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उनके अपने हिस्से में बने मकान व आने जाने का रास्ता बना लिया गया हैं इस क्षेत्र को छोडकर शेष पूरी कृषि भूमि को कुर्क किया जाकर इस कुर्क कृषि भूमि पर रिसीवर नियुक्त होकर, समय–समय पर इसकी जानकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी को लगातार देते रहे तथा किसी भी आदमी को अनाधिकृत रूप से इस कृषि भूमि पर प्रवेश नहीं करने दें।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2023 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner